प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

Pension14/I/10-11/

Date: 28 .01.2011

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

Sub : Forwarding of Special Seal Authorities regarding :
(1) G.O. Regarding Payment of Third instalment of Arrear recommended by 6th Pay Commission (40%)
(2) G. O Regarding Freedom Fighters & Their dependents w.e.f 01.04.2009 @ 68% with Calculation.

Ref : Office of the Principal Accountant General (A&E), UP Allahabad, Special Seal Authority No:

Circular No. Pen. (M)/Dearness Relief/LID – 24409,19880 dt. 21.12.2010.

* * *

I am herewith enclosing a Special Seal Authorities issued by the Office of the Principal Accountant General (A&E), UP Allahabad in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest to minimise hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Senior Accounts Officer

Copy to:
Joint Director, Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.

Registered

Office of the Accountant General (A&E)-II, UP

20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

सत्यमेव जयते

Under Special Seal

R.P.

957

21-12-

8863

T/8/8101

P14

109501 31/12/10

Circular No. Pen. (M)/Dearness Relief/ 2421 **Dated:-** 21-12-10

LID-24409,19880

To,

Accountant General (A&E)

Andhra Pradesh Saifabad

Hayderabad 500004

O/o. Pri. A.G. (A&E) INWARD 29 DEC 2010 A.P. HYDERABAD-500 004

Subject: - (1) G.O. Regarding Payment of Third installment of Arrear recommended by 6th Pay commission (40 %)

(2) G.O. Regarding Freedom Fighters & Their dependents w.e.f.01-04-2009 @ 68% with Calculation.

Sd/-

Sir,

I am forwarding herewith Copy of:-

(1)GO. Issued by Uttar Pradesh Government Vide No.Sa-3-1706/ X -2010-Lucknow dated: 11 October 2010 regarding release of Third installment of Arrear recommended by 6th Pay commission.

(2) GO No.231-Z/6-Sa-1-08-61G/85 16-02-2009, Regarding Freedom Fighters & Their dependents w.e.f.01-04-2009 @ 68% with Calculation.

It is requested that above mentioned Orders may please be circulated to all Treasuries situated in your State immediately under intimation to this office.

Enclosure: As Stated above

Yours faithfully

(Mohd. Abdul Hai)
Accounts Officer

सा-3-1706/X-2010

राजन शुक्ला,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 11 अक्टूबर, 2010

विषय :– **वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व / उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 40 प्रतिशत अवशेष देय की तृतीय किश्त के भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनॉक 01–01–2006 के पूर्व / उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेशन पुनरीक्षण के पश्चात् अवशेष देय के 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–11 में किए जाने की व्यवस्था कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1515/दस–2008–308/97, दिनाँक 08–12–2008 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1508/दस–2008–308/97, दिनाँक 08–12–2008 में है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवारत राज्य कर्मचारियों की भाँति राज्य के समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को 40 प्रतिशत एरियर की धनराशि (तृतीय किश्त) का भुगतान माह अक्टूबर, 2010 में कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

07.10.10

(राजन शुक्ला)
सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–1706 (1)/दस–2010, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
(2)– निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 65 जेड/6–सा–1–07–61जी/85

प्रेषक

श्री अशोक कुमार,,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2007

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को वर्तमान समय में मिल रही पेंशन में वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2391जेड/6–सा–1–05–61जी/85,दिनांक 02सितम्बर, 2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सत्याग्रह आन्दोलन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर श्री राज्यपाल महोदय राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को निम्न दर से पेंशन/मंहगाई राहत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दिनांक 01 जनवरी, 2007 से प्रतिमाह निम्न गणनानुसार भुगतान देय होगा :–

1– पेंशन –	रू0 3,150–00
2- मंहगाई राहत – (44 प्रतिशत) –	रू0 1,386–00
3– विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य धनराशि –	रू0 464–00
	योग – रू0 5,000–00
	(रूपये पॉच हजार मात्र)

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या– 28 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक –" 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनेत्तर–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–107–स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना–03–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन–33–पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ " के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या – ई – 12 –84/दस – 2007, दिनांक 19 जनवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
सचिव।

पृ0सं0 : 65 (1) जेड/6–सा–1–07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

———2

संख्या–सा–3–1913/दस–2010–301(71)/2009

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 19 नवम्बर, 2010

विषय :– **शासन से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त कर्मियों पर लागू अंशदान पेंशन योजना का कियान्वयन।**

महोदय,

शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की सेवा में आने वाले कर्मचारियों, जो नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित हैं, के बारे में कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1124/दस–2010–301(9)2003 टी0सी0, दिनाँक 15 सितम्बर, 2010 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस योजना के सुचारु रूप से कियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् आदेश देते है :–

(1)– उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 15 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर–2(2) में उल्लिखित प्रपत्र–1(क) में आवेदन – पत्र पर कार्मिक की नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित एवं चस्पा होने के साथ – साथ अग्रसारण पत्र में आहरण वितरण अधिकारी का कोड, पदनाम तथा कोषागार का नाम भी अंकित किया जायेगा।

(2)– नयी पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन अनुदान बिल अलग से तैयार कर पारण हेतु संबधित कोषागार में प्रत्येक माह प्रस्तुत किये जायेंगे। शासनादेश दिनाँक 15–09–2010 के प्रस्तर–6(क) में उल्लिखित प्रपत्र–2(ग) कर्मचारी का अंशदान के शेड्यूल के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा जिस लेखाशीर्ष से वेतन का आहरण हो रहा है उसे भी पूर्ण 15 डिजिट में शेड्यूल पर अंकित किया जायेगा। प्रपत्र–2(घ) को वाउचर के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा इस पर अनुदान संख्या – 62 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष ''2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल– 117– निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान– 03– राज्य सरकार का अंशदान –02– सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता'' अंकित किया जायेगा। यह प्रत्येक कर्मचारी के लिए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि के लिए वाउचर के रूप में प्रयोग किया जायेगा। दोनों प्रपत्र–2(ग) एवं 2(घ) की दो–दो प्रतियाँ वेतन बिल के साथ संलग्न की जायेंगी जो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित होंगी।

(3)– वेतन से काटे गये अंशदान की कार्मिकवार इन्ट्री राज्य कर्मचारियों की भाँति कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षक ''8342–अन्य जमा –120– विविध जमा– 02– सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना –01– सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1'' में की जायेगी। कोषागारों द्वारा निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासनादेश दिनाँक 15–09–2010 के प्रपत्र–2(ग) और 2(घ) की हार्ड कापी के साथ साफ्ट कापी भी उपलब्ध

——2/–

करायी जायेगी। इन कार्मिकों के लेखों का रख--रखाव निदेशक, पेंशन द्वारा उसी भाँति किया जायेगा, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के लिये किया जा रहा है। शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के अंशदान एवं राज्य सरकार के अंशदान का डाटाबेस सृजित करने हेतु कोषागार द्वारा उसी पैकेज का प्रयोग किया जायेगा जिसका प्रयोग सरकारी कर्मचारियों के लिये किया जा रहा है।

(4)-- शासनादेश के प्रस्तर--6(ख) में उल्लिखित बाह्य सेवा योजकों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के पेंशनरी अंशदान की धनराशि चालान के माध्यम से कोषागार में जमा नहीं की जायेगी। ऐसे बाह्य सेवायोजक द्वारा कर्मचारी के वेतन से पेंशनरी अंशदान की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा संबंधित शैड्यूल--2(ग) पर कार्मिक वार कटौती का पूर्ण विवरण प्रविष्ट करते हुए निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा। पेंशन निदेशक द्वारा संबंधित कर्मचारी के पेंशनरी अंशदान से संबंधित बैंक ड्राफ्ट शैड्यूल--2(ग) के साथ कोषागार में जमा किया जायेगा। नियोक्ता अंशदान जमा करने के लिए निदेशक, पेंशन द्वारा देयक अनुदान संख्या--62 के लेखाशीर्ष "2071-- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ--01--सिविल-- 117-- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान-- 03-- राज्य सरकार का अंशदान --02-- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान--20--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" पर बनाकर जवाहर भवन कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।

(5)-- ऐसे बाह्य सेवा योजक जिनके द्वारा बाह्य सेवायोजक का अंशदान जमा किया जाना है, उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी के अंशदान की धनराशि प्रपत्र--2(ग) तथा बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि प्रपत्र--2(घ) सहित (चाहे बाह्य सेवायोजक कार्यालय प्रदेश के अन्दर स्थित हो या बाहर) प्रतिमाह निदेशक,पेंशन के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के साथ अगले माह की 10 तारीख तक भेजी जायेंगी। ड्राफ्ट की धनराशि को लेखाशीर्षक -- 8342 में जमा करने की कार्यवाही निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तर -- (4) के अनुसार की जायेगी।

(6)-- कार्मिक का स्थानान्तरण होने पर जारी अन्तिम वेतन प्रमाण--पत्र की एक प्रति आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निदेशक, पेंशन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कार्मिक की नयी तैनाती के जनपद के कोषागार से उक्त कार्मिक के अंशदान की कटौती करने के संबंध में निर्देश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या--सा--3--1913(1)/दस--2010--301(71)/2009, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4-- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाबाद।
6-- वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7-- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या : 231 जेट / 6-सा-1-09-61जी / 85

प्रेषक

श्री जी0पी0 वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2009

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन में मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1363जेट / 6-सा-1-08-61जी / 85, दिनांक 23 जून, 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन पर दिनांक 01-04-2009 से 68 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिनांक 01.04. 2009 से प्रतिमाह निम्न गणनानुसार भुगतान देय होगा :-

1- पेंशन -	रू0 3,150-00
2- मंहगाई राहत - (68 प्रतिशत) -	रू0 2,142-00
3- विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य धनराशि -	रू0 464-00
योग -	रू0 5,756-00

(रुपये पॉच हजार सात सौ छप्पन मात्र)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 28 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक -" 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या - ई - 12 -294 / दस-2009, दिनांक 10 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0पी0 वर्मा)
प्रमुख सचिव।

-2

संख्या : 1303 जड / 6—सा—1—08—61जी / 85

प्रेषक

श्री डी०सी० लाखा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग—1

लखनऊ दिनांक 23जून 2008

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन में महगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—65जड / 6—सा—1—07—61जी / 85, दिनांक 22 जनवरी, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन पर दिनांक 01—04—2008 से 58 प्रतिशत की दर से महगाई राहत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिनांक 01. 04. 2008 से प्रतिमाह निम्न गणनानुसार भुगतान देय होगा :—

1— पेंशन —	रू0 3,150—00
2— महगाई राहत — (58 प्रतिशत) —	रू0 1,827—00
3— विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य धनराशि —	रू0 464—00
	योग — रू0 5,441—00

(रूपये पाँच हजार चार सौ एकतालिस मात्र)

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008—09 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या— 28 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक —" 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—आयोजनेत्तर—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—107—स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना—03—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन—33—पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ " के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या — ई — 12 — 1070 / दस—2008, दिनांक 18 जून, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी०सी० लाखा)
प्रमुख सचिव।

———2